

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2017

विषय :- 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-33/17/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक: 27.10.2017 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है जो निम्नवत है :-

1. नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017 दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

2. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें :

30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी :-

2.1 पूँजीगत निवेश अनुदान :-

(क) खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 50 लाख की सीमा तक दो समान किशतों में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ख) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शाकभाजी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन) इकाईयों को प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत निवेश अनुदान दो समान किशतों में उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, जिनमें पात्र परियोजना लागत न्यूनतम पूँजी निवेश रु. 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार के पैटर्न पर 4 (चार) किशतों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

परन्तु, प्रस्तर-2.1 (क) में प्राविधानित सुविधा प्रस्तर-2.2 (ख एवं ग) से आच्छादित प्रस्तावों को अनुमन्य नहीं होगी।

2.2 ब्याज उपादान :

(क) योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर का शत-प्रतिशत अधिकतम 05 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु0 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

परन्तु, प्रस्तर-2.1 (क) में प्रस्तावित पूँजीगत उपादान एवं प्रस्तर-2.2 में प्रस्तावित बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की दशा में अनुमन्य ब्याज उपादान सहित पांच वर्षों में अधिकतम धनराशि रु. 250 लाख की सीमा तक ही अनुमन्यता होगी।

- 2.3 रीफर व्हीकल्स/ मोबाइल प्री-क्लिंग वैन क्रय हेतु ब्याज उपादान :
मिशन की आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत रीफर व्हीकल्स/ मोबाइल प्री-क्लिंग वैन के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षों हेतु अधिकतम रु. 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2.4 मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान :
खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरणीय प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे: आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 22000, एच.ए.सी.सी.पी./ सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2.5 पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान :
पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी।
- 2.6 बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान :
प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नांकित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी :-
- 2.6.1 प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 2 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।
- 2.6.2 राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, रु. 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक तीन वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा।
- 2.6.3 राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पाद की एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत अधिकतम रु. 20 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्षों तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आवेदन पत्र की प्राप्ति :-
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर डालकर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेंसी (निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 30प्र0) को प्रस्तुत करेंगे।
- 3.1 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेंसी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की तिथि को शत-प्रतिशत निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत-प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।
- 3.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत मेगा फूड पार्क व फल सब्जी आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 3.3 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उपादान के आवेदन व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 3.4 रीफर व्हेकिल/मोबाइल प्री-क्लिंग वैन हेतु ब्याज उपादान के आवेदन संस्थाओं द्वारा रीफर वैन क्रय करने तथा व्यवसायिक कार्य में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 3.5 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोमोशन तथा बैंकेबुल प्रोजेक्ट सम्बन्धी आवेदन इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किये जायेंगे।
4. कार्य क्षेत्र :- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
5. पात्र सेक्टर : 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के निम्नांकित उद्योग सम्मिलित होंगे :-
- फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।
कृषि उत्पाद यथा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद।

- कृषि उत्पाद जैसे-मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्सड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।
- मछली प्रसंस्करण।
- डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
- रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-क्लिंग वैन।
- पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन।

6. पात्र संस्थायें : खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु सभी क्रियान्वयन संस्थायें/संगठन यथा- राजकीय/अर्धसरकारी/संयुक्त उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी संस्थायें/ स्वयंसेवी संस्थायें/ निजी क्षेत्र/व्यक्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

7. पात्र/अपात्र घटक :

(क) तकनीकी सिविल कार्य :

इण्डस्ट्री में उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त सिविल कार्य तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता में सम्मिलित होंगे। सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं होंगे वह इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किये जायेंगे। निम्नलिखित सिविल कार्य को तकनीकी सिविल कार्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

- (1) चहारदीवारी।
- (2) सम्पर्क मार्ग।
- (3) प्रशासनिक कार्यालय भवन।
- (4) प्रसाधन कक्ष।
- (5) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वार्टर्स।
- (6) सफाई कक्ष।
- (7) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष या समकक्ष।
- (8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।

(ख) प्लान्ट एवं मशीनरी :

इण्डस्ट्री में उत्पाद के दृष्टिगत खाद्य प्रसंस्करण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समस्त उपकरण एवं मशीनरी योजनान्तर्गत पात्रता में सम्मिलित की जायेंगी :-

- (1) सार्टिंग, ग्रेडिंग, वाशिंग, पीलिंग, कटिंग व साईजिंग।
- (2) बलान्चिंग, क्रसिंग, एक्सट्रैक्शन, पल्पिंग।
- (3) ड्राइंग, डिहस्किंग, डीहलिंग, स्पलटिंग, डीपॉडिंग, डीसीडिंग, कलर सार्टिंग, पल्वेलाईजेशन, एक्सट्रूजन, फ्रीज ड्राइंग/डीहाइड्रेशन, फ्राइंग आदि।
- (4) पाश्चुराईजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, कन्सट्रेशन आदि।
- (5) केनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, इडेबिल पैकेजिंग, लेबेलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।
- (6) केमिकल प्रिजरवेशन, पिकलिंग, फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।
- (7) इंडीव्यूजवल क्विक फ्रीजिंग (आई.क्यू.एफ.), ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, स्पायरल फ्रीजिंग आदि।
- (8) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट-कूलर/रेफ्रीजरेटेड/इंशुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।
- (9) अन्य समस्त प्रसंस्करण/परिरक्षण/यातायात भण्डार सुविधायें जो कि मूल्य संवर्धन एवं सेल्फ लाइफ बढ़ाने से सम्बन्धित हो, पात्र होंगे।

प्लान्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित को पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

- (1) इंधन/तेल, उपभोग की वस्तुयें और भण्डार सामग्री।
- (2) विद्युत सामग्री (मशीनों में स्थापित उपकरणों को छोड़ कर)।
- (3) कम्प्यूटर्स और सम्बन्धित कार्यालय फर्नीचर।
- (4) परिवहन वाहन।
- (5) स्थापन, संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क।
- (6) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें/मरम्मत की हुई मशीनरी।
- (7) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क।

- (8) मशीनरी की पेन्टिंग का व्यय।
- (9) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण।
- (10) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
- (11) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

8. आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख :-

8.1 पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण उन्नयन, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-भाजी इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख।

- (1) निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-ए) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।
- (2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
- (4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) हेतु निर्गत अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लान्ट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स तथा सिविल कार्य कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
- (5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक हैं। (एनेक्जर-ए/2)
- (6) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गई है और वह नियमानुसार ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण।(एनेक्जर-ए/3)
- (7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार(मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/7)
- (8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) का प्रमाणित विवरण।(एनेक्जर-ए/8)
- (9) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकलस ऑफ एसोशिएशन और समिति का बाई-लाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
- (10) संगठन के आफिस बियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।
- (11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेन्ट और वार्षिक प्रतिवेदन।
- (12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लू प्रिन्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
- (13) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इन्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियर्स मेमोरेन्डम (आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
- (14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- (15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र।
- (16) अग्निशमन प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी)।
- (17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंस।
- (18) मांस प्रसंस्करण इकाई हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (19) परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस ।
- (20) ₹ 100/- के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र की उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए/6)
- (21) ₹. 100/- के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity)। (ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर-ए/9)
- (22) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अन्तर्गत :-
 - (अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि।
 - (ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि।
 - (स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि।
 - (द) प्लान्ट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि।
 - (य) प्लान्ट और मशीनरी के स्थापन/संस्थापन की तिथि।
 - (र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि।
 - (ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।

- 8.2 ब्याज उपादान हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे :-
- 8.2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान सम्बन्धी)।
- 8.2.2 निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर- ए/14)
- 8.2.3 निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/4) पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- 8.2.4 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि हेतु अवमुक्त आदेश। (सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों हेतु)
- 8.2.5 बैंक द्वारा पांच वर्षों हेतु वर्षवार ब्याज भुगतान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र। (एनेक्जर-ए/13)
- 8.3 प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-बी) पर आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष संस्था द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की मंत्रालय द्वारा सत्यापित प्रतियां।
- 8.4 रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-क्लिंग वैंस हेतु वांछित अभिलेख :
- (1) निर्धारित रूप पत्र पर आवेदन। (एनेक्जर-सी)
 - (2) स्वप्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
 - (3) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा टर्म लोन का स्वीकृति पत्र।
 - (4) बैंक/वित्तीय संस्थान का अप्रैजल रिपोर्ट।
 - (5) संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएशन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
 - (6) संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
 - (7) रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-क्लिंग वैंस हेतु बिल/बाउचर/एनवाइस की प्रतियां जो चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा अभिप्रमाणित हो।
 - (8) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बॉडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट का डिलेवरी चालान और रसीद।
 - (9) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बॉडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट की इनवाइस की प्रति।
 - (10) बैंक द्वारा ब्याज भुगतान हेतु निर्गत समय सारणी (Repayment Schedule of Term loan.)।
 - (11) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि -
 - (अ) संस्था द्वारा रीफर व्हेकिल्स/प्री-क्लिंग वैंस का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जॉब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा।
 - (ब) यह कि संस्था द्वारा जॉब वर्क के लिए स्टैक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है।
 - (स) यह कि मैं रीफर व्हेकिल्स/प्री-क्लिंग वैंस का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जायेगा।
 - (12) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि-
 - (अ) कि संस्था/इसके सहयोगी संस्था/कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित।
 - (ब) यह कि संस्था द्वारा किसी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/भारत सरकार की संस्था/संगठन और राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए के लिए न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है।
 - (13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रीफर वैन के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र।
 - (14) रीफर व्हीकल/मोबाईल प्री-क्लिंग वैन हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर-ए/15)
- 8.5 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास हेतु वांछित अभिलेख :
1. निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-डी) पर आवेदन ।
 2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।
 3. पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिह्ने।
 4. एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति।
 5. संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएशन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
 6. संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
 7. कन्सल्टेन्ट एजेन्सी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एंक्रिडिटेशन हेतु एजेन्सी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति (मानकीकरण प्रोत्साहन हेतु)

8. पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति।
9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख।
10. आयात निर्यात लाइसेन्स की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी/हेल्थ प्रमाण-पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्ज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियां (बाजार विकास प्रस्ताव हेतु)।

9. पूंजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया :

अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किशतों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेंजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किशत की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने /अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपॉजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेंसी विभाग को वापस करनी होगी।

9.1 (क) पूंजीगत अनुदान की प्रथम किशत का अवमुक्त किया जाना:

संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50: धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 50: धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किशत अवमुक्त की जायेगी :-

- (1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) पत्र (एनेग्जर-ए/9)
- (2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रु.100/- के नान-जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेग्जर-ए/10)
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशित टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/12)
- (4) चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशित या अधिक अंश पूंजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एनेग्जर-ए/4)
- (5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेग्जर-ए/3)
- (6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। (एनेग्जर-ए/2)
- (7) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेग्जर-ए/7)
- (8) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेग्जर-ए/8)
- (9) अनुदान की प्रथम किशत अवमुक्त से पूर्व निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
- (10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किशत सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)

9.2 (ख) पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किशत का जारी किया जाना:

अनुदान की द्वितीय किशत इकाई में व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किशत उपयोग कर लिये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी :-

- (1) लाभार्थी/संस्था के प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0- जी0एफ0आर0 19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेग्जर-ए/5)
- (2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंश पूंजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (एनेग्जर-ए/4)
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र की उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/12)
- (4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेग्जर-ए/3)
- (5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। (एनेग्जर-ए/2)
- (6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। (एनेग्जर-ए/7)
- (7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेग्जर-ए/8)
- (8) नोटरीकृत जमानती शपथ पत्र- निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनार्थ सत्य हैं इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेग्जर-ए/6)
- (9) निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये की परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।
- (10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)
(10.1) मेगा फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्यापित) आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

10. ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया : आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाईल प्री-क्लिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेग्जर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15) पर जारी प्रमाण-पत्र स्टेट नोडल एजेन्सी फूड प्रोसेसिंग को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन-पत्र (एनेग्जर-ए अथवा सी) वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नॉन-जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (एनेग्जर-ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध के उपरान्त स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

11.30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु रियायतें एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए शासकीय व्यय की व्यवस्था खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आय-व्यय में प्रति वर्ष कराया जायेगा।

12. नोडल एजेन्सी/नोडल विभाग :

12.1 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण लिए नोडल विभाग होगा तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी होगा।

12.2 निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश नीति के पदेन निदेशक होंगे तथा वह राज्य इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए निदेशालय में पृथक सेल बनाया जायेगा जो नीति के कार्यों के संचालनार्थ, समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख-रखाव एवं आडिट आदि सम्बन्धित कार्यों को करेगा।

13. प्रशासनिक व्यय :

13.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।

13.2 वृहत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं मेगा फूड पार्क के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेंसी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।

14. विविध :

14.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जायेगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे, लेखा शीर्षक के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

14.2 अन्य विभागों से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बन्धित विभागों द्वारा किये जायेंगे।

14.3 उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किये, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र०, शासन को होगा।

14.4 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सक्षम होंगे।

14.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थिति न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

संख्या-36/2017/1343(1)/58-2-2017, तदिनांक:-

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्राथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
- (8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
- (9) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० को इस आशय से कि इस शासनादेश एवं गाइड लाइन की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
- (12) गार्ड फाईल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)

विशेष सचिव।

Application Form

1. Capital Subsidy for settingup new units/Technology Up gradation/Modernisation of Food Processing Industries.
2. Capital Subsidy for settingup new units/Technology Up gradation / Modernisation of Food Processing Industries. Sanctioned under Pradhan Mantri Kishan Sampada Yojna.
3. Interest Subsidy for settingup new units/Technology Up gradation/Modernisation of Food Processing Industries.

S.No.	Particulars	Details		
A.	Promoters			
1.	Name & address of the promoter including telephone, fax, e-mail etc.	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div>Name:</div> <div>Address:</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Phone:</div> <div>Fax:</div> </div> <div>Email</div> </div>		
2.	Type of organisation like Govt. Institution /Organisation, Industry Association, University, NGO, Co-operative, others etc.			
3.	Background/credentials of applicant organisation			
4.	Financial Status (applicable for expansion and modernization projects)	<div>Turnover:</div> <div>Profit:</div>		
5.	A. Existing Industry if any B. For New Unit: Industrial registration	<div>A.</div> <div>B.</div>		
B.	Project Description			
6.	Name of the Project			
7.	Location/Area of the project			
8.	Products/By Products			
9.	Process with complete flow chart			
10.	Technology (Indigenous/ imported)			
11.	Capacity of the Plant/Unit	<div>Existing:</div> <div>Proposed:</div>		
12.	In case of expansion/ modernisation of existing facilities/unit (details of existing capacity and proposed capacity after expansion & along with capacity utilisation)		Existing	Total After expansion
		Capacity		
		Capacity Utilization		
C.	Project Cost (indicating proposed cost, appraised cost separately)			
	Items	Cost of existing Items if any	Proposed Cost	Appraised Cost
13.	Capital Investment (Fixed Capital)			
a.	Land Area Cost			

b.	Building			
c.	Civil Works			
d.	Technical Civil Works			
14.	Plant & Machinery (Indigenous) List all existing, and proposed plant & machinery details of existing/proposed to be installed annexure (A/1)			
15.	Imported Machinery (Capacity/Specification /Cost) List all existing, and proposed plant & machinery details of existing/proposed to be installed annexure (A/1)			
16.	Pre-operative expenses			
17.	Working Capital			
18.	Raw Material/Packaging (Source/Quantity/Cost) List all the raw materials and packaging items required for the project			
19.	Labour (Quantity/Cost)			
20.	Effluent Disposal (Method/Machinery/Cost) List all the machines to be installed			
Total-				
D.	Means of Finance (indicating proposed & appraised means of finance, separately)			
21.	Means of Financing	Existing	Proposed	Appraised
	Means of Finance in lakh (indicating proposed & appraised means of finance, separately)			
	Means of Financing			
	Equity (Promoter /Foreign / Other)			
	Term Loan			
	Assistance from other sources			
	Grant-in-aid			
	Others			
	TOTAL			
22.	Financial Benchmarks			
22.	Items	Existing		Projected
	Cash Flow			
	Break Even Point			
	Internal Rate of Return			

	Debt Equity Ratio				
	Debt Service Coverage Ratio				
Attach the Details of Calculation of each of the above on a separate sheet, must be crosssigned by the Chartered Accountant					
In case of expansion/ modernisation, all the above benchmarks to be given separately- existing as well as projected					
In case of expansion/ modernisation proposals, Audited Balance Sheet of last three years to be enclosed					
E.	Marketing				
23.	Marketing				
	a) Existing Market				
	b) Future Demand				
	c) Marketing Strategy				
	d) Linkage to farm/ backward linkages				
	e) Forward market linkages				
	List out each one of the parameters in details				
F.	Implementation Schedule				
24.	Item of work and Date of implementation (Bar charts / Milestone Charts may be enclosed)	Item of work	Date		
		a. Acquiring land			
		b. Start of construction of building			
		c. Completion of building			
		d. Placing order for plant & machinery			
		e. Installation / erection			
		f. Trial production /running			
		g. Commercial production/ running			
G.	Personnel				
25.	Details of technical & managerial personnel (operation, maintenance, managerial, finance, marketing etc.) required & available				
H.	Employment Generation- Direct/Indirect				
a.	a) Direct (Male & Female Separately) b) Indirect (Male & Female Separately)		Male	Female	Total
		Direct			
		Indirect			
		Total			
I	Bank/term Loan Details				
26.	1. Name of the Bank / FI 2. Branch Address with contact no. 3. IFSC Code 4. Account no. 5. Total Amount of term loan sanctioned 6. Term loan sanctioned for new plant machinery, spares and technical civil work 7. Date of sanction 8. Rate of interest 9. Repayment schedule 10. Amount of term loan disbursed				

	11. Amount and Date of first disbursement 12. Date of Commercial production
--	--

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of the scheme. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:
Place:

Signature:
Name and Designation:
Seal of the Organization:

Details of Plant & Machinery (Indigenous & imported) for Food Processing Industries under Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy-2017 (Capital/Interest Subsidy)

A) For new units.

S.No.	Name of Machine Proposed	Name of supplier company	Make, Model & Specification	Capacity	Cost (Rs.)

B) For existing units.

Details of existing Plant & Machinery					
S.No.	Name of Machine Installed	Name of supplier company	Make, Model & Specification	Capacity	Cost (Rs.)
Details of Proposed Plant & Machinery					
S.No.	Name of Machine Proposed	Name of supplier company	Make, Model & Specification	Capacity	Cost (Rs.)

Letter Head of the CA)
CA certificate (With membership No. of CA) in the following format :-

Itemized Summary Statement of expenses incurred on Technical civil work

S.No.	Name of Item	Supplier	Voucher/ bill Nos.	Date of order	Date of Payment	Date of Arrival	Gross cost	Tax	Other chargers	Net cost
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

It is further certified that-

- A) All the above entries are based on enclosed bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly checked & verified by me.
- C) All the above bill vouchers are related to new construction only.

Signature and Seal of C.A.

Letter Head of the CA)

CA certificate (With membership No. of CA) in the following format:-

Itemized Summary Statement of expenses incurred on plant and Machinery

[illegible]

It is further certified that -

- A) All the above entries are based on enclosed bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly checked & verified by me.
- C) All the above bill vouchers are of new plant and machinery.

Signature and Seal of C.A.

(Letter Head of the CA)

CA certificate (With membership No. of CA) in the following format:-

(i) Project Cost:

(Rs. in lakh)

Sl No.	Name of the Component/Item	Project Cost	Cost as appraised by the Bank	Actual Cost
1.	Land			
2.	Building / Civil Works			
3.	Plant & Machinery			
4.	Misc. Fixed Assets			
5.	Other's			
	Total			

- Actual expenditure should be supported by payment details(Bill/Vouchers) duly certified by C.A.

(ii) Means of Finance:

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Item	Project Cost	As per appraisal report	Actual Expenditure incurred as on date
1.	Promoter's Equity			
2.	Term Loan			
3.	Unsecured Loan			
4.	Grant under UPFPIP-2017			
5.	Other's			
	Total			

Details of unsecured loans, if any, duly certified by CA.

S.No.	Name of Party	PAN No.	Cheque/DD No.	Amount

It is further certified that we have examined and verified that the M/s-----has utilized 50 or 100% of Promoter contribution and sanctioned term loan for the project.

Signature and Seal of C.A.

(Letter Head of the CA)
PROFORMA AS PER GFR 19-A
 (See GF rule 212 (1))

S. No.	Letter No. & Date	Amount
1.		

Certified that out of **Rs. -----** of grant-in-aid sanctioned during the year ----- in favour of ----- under this Department letter No. given in the margin and **Rs.-----** on account of unspent balance of the previous year, a sum of **Rs. -----** has been utilized for the purpose of ----- for which it was sanctioned, that the balance of **Rs. -----** remaining un-utilized at the end of the year ---- has been surrendered to Government (vide No. ----dated ----) will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year -----.

2. Certified that I have satisfied myself that conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been dully fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:

- 1.
- 2.
- 3.

Signature __ (CA) _____
 Designation _____
 Date _____

Counter signature of promoter of company with Seal
--

**On non-judicial stamp paper of Rs. 100/-
Affidavit/Declaration**

I..... S/oResident of.....
.....Director/Proprietor of M/s..... do here by solemnly affirms and
state as follows:

That I am the deponent herein and I am fully acquainted with the information given below.

1. That the unit/organization has not obtained or applied for or will not apply for grant /subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of Govt. of India or State Govt
2. That all the papers, documents submitted to Department of Horticulture and Food Processing Government of Uttar Pradesh are true and correct and nothing is concealed.
3. If any thing found false, Department of Horticulture and Food Processing Government of Uttar Pradesh shall we free to initiate proceeding against me as per law.

Deponent

Verification :

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence verified at
__(Place)___ on ____(Date)___.

Deponent

Deponent

Solemnly affirmed and signed before me on this day.....

(Notary)

(Letter Head of Chartered Engineer - Civil)
Format for Item Wise and Cost Wise Details of Technical Civil Works

Name of the Project :

Location of the Project :

Year of construction :

Details of Bulding	Existing		New/Proposed			
	Nos.	Area	Nos.	Area	Rate.	Total
(A) Production Hall						
(B) Store Room						
(c) Laboratory						
(D) Boiler Room						
(E) Administrative Bulding/Others						

Certified that i have personally visited the site of the factory on dated------. The existing building is not sufficient for the proposed expansion/technical upgradation. The proposed building is according to need of expansion/ technical upgradation/ establishment of the unit. The above construction is new and the quality of construction is satishfactory as per the norms of factory building. The eligible Cost of New construction is Rs.------(in words) according to norms of UPFPIP-2017.

Date_____

Signature and Seal of Chartered Engineer (Civil)

Annexure-A/8

(Letter Head of Chartered Engineer - Mechanical)
Format for Item Wise and Cost Wise Details of Plant & Machinery

Name of the Project :

Location of the Project :

S. No.	Machinery	Specification	Existing		New				
			No.	Capacity	No.	Capacity	Rate	Value (Lakhs)	Eligible/ Non- Eligible
1.									
2.									
3.									
4.									

- (A) Certified that i have personally visited the site and examined the plant machineries installed in the factory on dated----- . All above plant machineries installed are new & purchased after 27 October, 2017 and working satisfactorily. All above machineries are essential and sufficient for the proposed production capacity.
- (B) Rate and Value of the Machines is as per the basic cost and do not include any duty, charges, taxes, freight, insurance, erection or installation charges.
- (C) The eligible Cost of New Plant Machinery is Rs.----- (in words) as per the norms of UPFPIP-2017

Date_____

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)

To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 100/-

AGREEMENT OF INDEMNITY

This agreement is made at Lucknow on this -----th day of-----two thousand-----Between (1) M/S-----, a----- (Type of organization) incorporated/registered under the----- (Name of the Act) and having its registered office at-----and (2) Sri----- S/o -----R/o----- (hereinafter called the "Indemnifiers" which expression includes their legal heirs and successors in interest) of the one part AND The State of Uttar Pradesh Represented by the Director Horticulture and Food Processing, Uttar Pradesh (Hereinafter called the "Indemnity holder") of the other part.

Whereas the Indemnifier no. 1 is carrying on the business of food processing in the name and style of -----has applied for subsidy on interest paid to the bank/financial institution (Name of bank/financial institution) from where it has arranged the money for expenditure in the plant, machinery and spare parts in the food processing unit established by it under the provision of Govt. Order No. -----dated ----- (Annexure No. 1 hereto) issued by the Government of Uttar Pradesh and the indemnity holder has agreed to subsidize the indemnifier against the expenditure incurred by the indemnifier in making payment of interest to the bank/financial institution in terms of said Govt. Order;

And whereas the Indemnifier No. 1 in its meeting of Board of Directors dated-----has resolved that Sri----- (Name and designation) shall sign this agreement of Indemnity. The copy of minutes of aforesaid meeting and the identify proof of Sri-----are annexed as Annexure No. ----- and ----- hereto;

And Whereas on the Indemnifier's request, the Government of Uttar Pradesh as per Sanction Order No. -----dated----- (**Annexure No. ----- hereto**) issued by the Director, Department of Horticulture and Food Processing U.P. Lucknow (hereinafter referred to as the "Letter of

Sanction") after the approval of SLEC/SLEC Sub Committee, agreed to make in favour of the Indemnifier-Capital subsidy/Interest Subvention reimbursement as per the UP FPIP-2017 Govt. Order Guidelines G.O. No. -----
 - dated -----" for a Sum of Rs.------(in words) or actual claim duly verified by the concerned bank/financial institution, whichever is less, shall be entitled for the purpose of------(description of project at ------(place) out of which a sum of Rs.-----
 -(in words) has been paid to the Indemnifier through cheque No.-----
 ----dated-----drawn on------(Name of Bank) (the receipt of which the Indemnifier do hereby admit and acknowledge) which the Indemnifier has deposited/shall deposit in its current/SB account No.-----
 -----with the------(Name of bank), photocopy of the said cheque is **Annexure No. -----** hereto; And whereas the Indemnifiers have agreed the terms and conditions mentioned in the aforesaid Govt. order and the letter of sanction and have promised to abide by the same;

And whereas the parties hereto (Indemnifier and Indemnity holder) have gone through and have understood the contents of this Agreement of Indemnity.

Now on the basis of above mentioned facts Indemnifiers and Indemnifiers holder hereby agree as follows :-

1. That the annexure of this agreement shall form an integral part of this agreement.
2. That the Indemnifier No. 1 shall not use or divert the grants-in-aid provided to it by the Indemnity holder for any purpose other than payment of interest to the bank/financial institution concerned.
3. That the Indemnifiers shall abide by the terms and conditions mentioned in the Govt. Order No ----- dated ----- and the letter of sanction.
4. That in case the Indemnifier No. 1 fails to comply with any condition of this agreement, Govt. Order -----dated ----- and the Sanction letter or commits breach thereof the Indemnifiers shall jointly and severally liable to refund the amount received from the state of Uttar Pradesh without a demur.
5. That in case of failure of Indemnifiers to refund the amount to state of Uttar Pradesh, the State Government will have a right to recover the amount paid to the Indemnifier No. 1 from the Indemnifier as an arrear of land revenue.

6. That in case of any dispute arising out of this agreement between Indemnifiers and the Indemnity holder the decision the matter shall be referred to the Headquarter of Horticulture and Food Processing Department and if the matter remains un disposed the same shall be referred to the Principal Secretary, Food Processing Department Uttar Pradesh and his decision shall be final and binding on the Indemnifiers and Indemnity holder.
7. That the Indemnifier No. 1 shall keep the account of utilization of money received from the State of Uttar Pradesh and keep it ready for inspection by the Govt. authorities as and when required.
8. That Indemnifier No. 1 shall provide all the information about it including audited annual account/balance sheets to the Director, Horticulture and Food Processing U.P. Lucknow at regular intervals as demanded by him.
9. That the Indemnifier No. 1 shall bear all the expenses of this agreement and other expenses incidental thereto.
10. That the Principal Secretary/Secretary Food Processing Department U.P. Govt. shall have a right to interpret any subject matter of the scheme and to amend the same as per policy of the Central/State Government.

IN WITNESS WHERE OF the parties have executed this agreement of this-----day of-----2017 in their full

senses, out of their free will, without any misrepresentation and undue influence in presence of following witnesses who have also made their signatures on this agreement of the request of parties.

Lucknow

Dated :

Witnesses

1.
Name and Address

Authorized Signatory
For and on behalf of Indemnifier No.1
Seal/Stamp of Organization

2.
Name and Address

Indemnifier No. 2

Name :

Address:

Authorized Signatory

For and on behalf of Indemnity Holder

On non-judicial stamp paper of Rs. 100/-
Affidavit
[As per GFR-209(1)]

I S/o Resident of
director / proprietor of M/s do here by solemnly affirms and state as follows:

- (a) That organization's sister concern (s)/ inter connected company/Group company as well as the applicant company itself has not obtained any financial assistance for a food processing project in the past from MOFPI/ Govt. of UP.
- (b) That the organization has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy from any Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State Govt for the same purpose/activity /same components.

Deponent

Verification :

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence verified at
____(Place)____ on ____ (Date) ____.

Deponent

Notary Seal& Signature

(Letter Head of the Bank)

(For Scheme of Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries)

Certificate

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s (Name and address of the organization) for **Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries** of------(Details of Project UP. Food Processing Industry Policy-2017 grant as per guidelines of the scheme and also sanctioned term loan of Rs.lakh (if applicable).
2. It is further certified that we have released Rs..... lakh (-----% of sanctioned term loan) to M/s (Name and address of the organization).
3. We have no objection in releasing of grant if sanctioned by the department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttar Pradesh.
4. The bank is agree to adjust the grant in term loan account of the organization.

(Signature)

(Name)

(Branch Manager)

(Branch IFSC Code)

(Letter Head of Chartered Engineer - Mechanical)
Format for Technical Details of Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van.

Chassis no. of reefer vehicle/mobile pre-cooling van. :

Make/model :

S. no.	Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van	Technical Description
1.	Container dimensions	20 Standard : 8x8.5'x20', 27 to 28 cum
2.	Insulation details	Thermal Conductivity value/mm
3.	Tare weight	kgs
4.	Gross weight	kgs
5.	Temperature recording	Type
6.	GPS System	Must be fitted
7.	Refrigeration capacity	kw
8.	Refrigerant used	Technical Name of refrigerant
9.	Fresh air exchange	Describe system fitted
10.	Diesel/electric auto switching	Describe dual power unit.
11.	Air flow cum/hr (CFM)	Evaporator air flow in CFM
12.	Temperature control precision +/- ⁰ C	Precision in controls in ⁰ C
13.	Name of Manufacturer	
14.	Year of Manufacture	
15.	Any design enhancement	Describe design changes in any

Date _____

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)

**For Interest Subsidy
Bank Certificate
(on Letter head)**

Letter no.-----date-----

Certified that this bank has appraised the project of M/s-----for settingup/expansion/modernisation-----under Food Processing Industry Policy-2017 (State Interest Subsidy Scheme) of Government of Uttar Pradesh, as per guidelines of the Horticulture & Food Processing Department, Govt. of U.P. Bank has sanctioned term loan of Rs.-----out of which Rs-----is towards plant/machinery, technical civil work and spare parts.

2. The Rate of interest applicable on term loan is-----per annum.
3. That we have released Rs.-----(% of sanctioned term loan) to M/s.-----in its term loan account no.-----.
4. First Installment o term loan was disbursed to organization on dated-----.
5. Year wise calculated interest amount for next 5 years on term loan released towards plant/machinery, technical civil work and spare parts will be as under :-

Year	Ist Year	IInd Year	IIIrd Year	IV Year	Vth Year
Amount					

6. The unit of organization has started Commercial production on dated-----
7. We have no objection in releasing interest subsidy as per the guidelines of state government if sanctioned.
8. If the promotewr makes any default in repayment of loan/interest amount, at any stage, the bank shall be bound to inform the department of Horticulture & Food Processing Govt. of UP.

(Signature)
Branch Manager
Name & Address of Branch
with seal

**Format for Bank/Financial Institution for releasing Interest subsidy under
U.P. Food Processing Industry Policy-2017**

Ref.No.-----

Date:-----

To,

The Director

Department of Horticulture & Food Processing U.P

2-Sapru Marg

Lucknow-226001

E-mail : cmfpmup@gmail.com

S. N.	Particulars	Description
1.	Name of the Company / Firm	
2.	Sector	
3.	Location :	
a)	Address of Unit.	<div>Village/Mohalla</div> <div>Post.</div> <div>District</div> <div>Pin code</div> <div>e-mail</div> <div>Phone no/Mob. no</div>
b)	Address of Registered Office	<div>Village/Mohalla</div> <div>Post.</div> <div>District</div> <div>Pin code</div> <div>e-mail</div> <div>Phone no/Mob. no</div>
4.	Item of manufacturing & item wise quantity per annum	
5.	Name & Address of Directors/ Partners / Proprietor (if required attach separate signed sheet).	<div>Name & Designation</div> <div>Village/Mohalla</div> <div>Post.</div> <div>District</div> <div>Pin code</div> <div>e-mail</div> <div>Phone no/Mob. no</div>
6.	Details of Term Loan sanctioned for establishment of New Food Processing unit./ Expansion/Modernisation (Rs. in Lakh)	<div>6.1 Name of Bank/ financial Institution</div> <div>Branch</div> <div>District</div> <div>6.2 Account no.</div> <div>6.3 IFSC code</div> <div>6.4 Total Term Loan sanctioned</div> <div>6.5 Date of Sanction.</div> <div>6.6 Loan for New Plant Machinery, Spare parts and Technical civil work sanctioned</div> <div>6.7 Total Loan amount disbursed for Plant Machinery, Spare parts & Technical civil work (as on date)</div> <div>6.8 Rate of Interest per annum(if floating give details)</div> <div>6.9 Amount of Term Loan disbursed</div> <div>Date of 1st Disbursement</div> <div>Date of last Disbursement</div>
7.	Date of commercial production (attach first sale Invoice duly certified by trade tax dept.)	
8.	Total time taken for commercial production from release of Date of 1 st Disbursement(Year, month & days)	
9.	Whether unit is permanently closed for Commercial production during claimed year ? Yes or No. If yes, give detail of reason for closing the Unit. (attach documents)	
10.	Detail of setting up of new Plant & Machinery with dates related to purchase of plant, machinery & spares parts and list of them	<div>Date of 1st purchase of Plant & Machinery</div> <div>Date of last purchase of Plant & Machinery</div>
11.	Detail of new Technical civil works with dates related to commencement of civil works	
12.	Attach Audited/Provisional balance sheet for claimed year	

13. Table:13 Calculation of amount of interest subsidy during the financial year-20-----

Month	Out Term loan amount for plant machinery, technical civil works & spare part	Principal Installments due		Principal Installments paid		Interest due (for plant machineries,technical civil works and spare parts		Interest Installments Paid (for plants and machineries,technica l civil works & spare parts)		Claimed Interest subsidy @ 7% of Colum 10
		Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
April										
May										
June										
July										
August										
September										
October										
November										
December										
January										
February										
March										
Total										

Certificate : -

This is to certify that : -

- The above mentioned loan (Sl. No. 6.6) is sanctioned for purchase of New Plant Machinery, Spare part and new technical civil works for setting up/Expansion/Modernisation of FP unit at the above mentioned address (Sl. No. 3 (a)), after -----(pl mention date).
- All the plant, machinery, Spare part & new technical civil works for which above mentioned Term Loan (Sl. No. 6.6) has been sanctioned is utilised for approved items as per bank appraisal report for the production and have been purchased and installed at above mentioned address (Sl. No. 3 (a)).
- The Firm / Company has paid all the Installments of Principal and Interest amount of the above mentioned term loan within the prescribed time limit as per given in (Sl No. 13). This is to certify that said unit has no default at any stage & during the financial year for which the claim is made and the account has been classified as Regular Account as per Bank Rules.
- All the above mentioned information (Sl. No. 1 to 13) are true and certified by the Bank/financial Institution.
- Subsidy amount mentioned in above table in Colum No. 11 of table at point no. 13 of said financial year of amount Rs.-----is recommended to release subsidy under U.P.Food Processing Policy-2017 as per the provision and terms and conditions Government order 33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017 Dated 27-10-2017
Dated :

(Signature)
Branch Manager
Name & Address of Branch
with seal

Encl : -

- Copy of Loan Sanctioned Letter, duly Certified by Bank Manager if any change.
- Copy of Statement of Bank Account, duly Certified by Bank Manager.
- Audited/Provisional balance sheet of claimed year.

**Format for Bank/Financial Institution for releasing Interest subsidy under
U.P. Food Processing Industry Policy-2017 (Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van)**

Ref.No.-----

Date:-----

To,

The Director

Department of Horticulture & Food Processing U.P

2-Sapru Marg

Lucknow-226001

Phone (Off):. 0522-2287149

e-mail : cmfpmup@gmail.com

S. N.	Particulars	Description
1.	Name of the Company / Firm	
2.	Sector	
3.	Location :	
A)	Address of Registered Office	Village/Mohalla Post. District Pin code e-mail Phone no/Mob. no
4.	Refrigerated Item for transport & items wise quantity per annum	
5.	Name & Address of Directors/ Partners / Proprietor (if required attach separate signed sheet).	Name & Designation Village/Mohalla Post. District Pin code e-mail Phone no/Mob. no
6.	Details of Term Loan sanctioned for procurement of reefer vehicle/mobile cooling van unit (Rs. in Lakh)	6.1 Name of Bank/ financial Institution Branch District 6.2 Account no. 6.3 IFSC code 6.4 Total Term Loan sanctioned 6.5 Date of Sanction. 6.6 Loan for New reefer vehicle/mobile cooling van unit sanctioned 6.7 Total Loan amount disbursed for reefer vehicle/mobile cooling van unit (as on date) 6.8 Rate of Interest per annum(if floating give details) 6.9 Amount of Term Loan disbursed
7.	Date of commercial work (attach first receipt duly certified by trade tax dept.)	Date of 1 st Disbursement Date of last Disbursement
8.	Total time taken for commercial work from release of Date of 1 st Disbursement (Year, month & days)	
12.	Attach Audited/Provisional balance sheet for claimed year	

13. Table:13 Calculation of amount of interest subsidy during the financial year-20-----

Month	Out Standing Term loan amount for reefer vehicle/mobile cooling van	Principal Installments due		Principal Installments paid		Interest due (for reefer vehicle/mobile cooling van)		Interest Installments Paid (for reefer vehicle/mobile cooling van)		Claimed Interest subsidy @ 7% of Colum 10
		Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
April										
May										
June										
July										
August										
September										
October										
November										
December										
January										
February										
March										
Total										

Certificate : -

This is to certify that : -

- The above mentioned loan (Sl. No. 6.6) is sanctioned for purchase of New reefer vehicle/mobile cooling van at the above mentioned address (Sl. No. 3 (a)), after -----(pl mention date).
All the reefer vehicle/mobile cooling van for which above mentioned Term Loan (Sl. No. 6.6) has been sanctioned is utilised.
- The Firm / Company has paid all the Instalments of Principal and Interest amount of the above mentioned term loan within the prescribed time limit as per given in (Sl No. 13). This is to certify that said unit has no default at any stage & during the financial year for which the claim is made and the account has been classified as Regular Account as per Bank Rules.
- All the above mentioned information (Sl. No. 1 to 13) are true and certified by the Bank/financial Institution
- Subsidy amount mentioned in above table in Colum No. 11 of table at point no. 13 of said financial year of amount Rs.-----
-----is recommended to release subsidy under U.P.Food Processing Policy-2017 as per the provision and terms and conditions Government order 33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017 Dated 27-10-2017
Dated :

(Signature)
Branch Manager
Name & Address of Branch
with seal

Encl : -

- Copy of Loan Sanctioned Letter, duly Certified by Bank Manager if any change.
- Copy of Statement of Bank Account, duly Certified by Bank Manager.
- Audited/Provisional balance sheet of claimed year.

Format For DPR(Model)

- 1. Executive Summary**
- 2. Background**
 - 2.1. Sector Background
 - 2.2. Project Background
 - 2.3. Promoters' Background
- 3. Land Details & Logistics**
 - 3.1. Character of the Land
 - 3.2. Requirement of Land Area
 - 3.3. Ownership of the Land
 - 3.4. Present Status of Land
 - 3.5. Location of Land –
- 4. Procurement Strategy of Raw Material & Other Inputs**
 - 4.1. Raw Material Availability
 - 4.2. Sources of Procurement
 - 4.3. Process of Procurement
- 5. Techno-Commercial Viability Assessment**
 - 5.1. Technology Used
 - 5.2. Possible Source of Equipments / Machine Suppliers
 - 5.3. Capacity & Production
 - 5.4. Pollution Control (Please provide the details precisely)
 - 5.4.1. Amount of Generation of Pollution / Wastage
 - 5.4.2. Mode of Waste Disposal
 - 5.4.3. Machines to be installed for adhering to pollution norms
- 6. Process Flow Diagram**
 - 6.1. Machine Layout Plan
 - 6.2. Process Flow Table
- 7. Infrastructure Source**
 - 7.1. Power (if from U.P PCL Permission Letter required)
 - 7.2. Water
 - 7.3. Manpower
- 8. Marketing Strategy**
 - 8.1. Market Opportunities
 - 8.2. Approach
- 9. SWOT Analysis**
- 10. Financial Analysis**
 - 10.1. Cost Estimates
 - 10.2. Working Capital Requirement
 - 10.3. Revenue Projections
 - 10.4. Fund Flow Statement
 - 10.5. Financial Ratios
 - 10.6. Break Even
 - 10.7. Term Loan
 - 10.8. Internal Rate of Return
- 11. Investment Details**
 - 11.1. Equity Contribution & Source
 - 11.2. Debt Contribution, Source & Cost of Debt
 - 11.3. Total Fixed Capital
 - 11.4. Net Worth of the Company
 - 11.5. Appraisal Letter from Bank or Lending Institution

Application Form

Capital Subsidy for Mega Food Park Sanctioned by GOI under Pradhan Mantri Kishan Sampadda Yojana

S.No.	Particulars	Details		
A.	Promoters			
1.	Name & address of Special Purpose Vehicle (SPV)/ Share holder.	Name: Address: Phone: Fax: Email:		
2.	Location of site with complete address and contact no.			
3.	Financial Status	Turnover: Profit:		
B.	Project Description			
4.	Name of the Project			
5.	Location/Area of the project			
C.	Project Cost in lakh (indicating proposed cost, appraised cost separately)			
	Items	Existing Cost	Proposed Cost	Appraised Cost
6.	Capital Investment (Fixed Capital)			
1.	Land Area & Cost			
	Central Processing Center			
	Primary Processing Center			
2.	Basic enabling infrastructure			
	Central Processing Center			
	Primary Processing Center			
3.	Core infrastructure			
	Central Processing Center			
	Primary Processing Center			
4.	Non-core infrastructure			
	Central Processing Center			
	Primary Processing Center			
5.	Factory sheds for MSMEs			
6.	Interest during construction			
7.	Project Management Consultant (PMC) and consultancy fee			

8.	Preliminary and preperative expenses				
9.	Margin money for working capital				
10.	Contingencies				
	Total				
D.	Means of Finance in lakh (indicating proposed & appraised means of finance, separately)				
17.	Means of Financing	Existing	Proposed	Appraised	
	Equity (Promoter /Foreign / Other)				
	Term Loan				
	Assistance under UPFPIP.				
	Grant-in-aid from MOFPI				
	Others				
	TOTAL				
18.	Bank/term loan Details 1. Name of the Bank / FI 2. Branch Address with contact no. 3. IFSC Code 4. Account no. 5. Total Amount of term loan sanctioned 6. Term loan sanctioned for new plant machinery, spares and technical civil work 7. Date of sanction 8. Rate of interest 9. Repayment schedule 10. Amount of term loan disbursed 11. Amount and Date of first disbursement 12. Date of Commercial production Implementation Schedule				
H.	Employment Generation- Direct/Indirect				
19.	a) Direct (Male & Female Separately)		Male	Female	Total
	b) Indirect (Male & Female Separately)	Direct			
		Indirect			
		Total			

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of the scheme. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:
Place:

Signature:
Name and Designation:
Seal of the Organization:

Application Form

For scheme of Reefer Vehicles under U.P. Food Processing Industry Policy-2017

S.No.	Particulars	Details
A. Promoters		
1	Name & address of the promoter including telephone, fax, e-mail etc.	
2.	Type of organisation like Govt. Institution /Organisation, Industry Association, University, NGO, Co-operative, Entrepreneur, Partnership Firm, Company, etc.	
3.	Background/credentials of applicant organization.	
4.	Financial Status	
5.	Existing Industry if any	
B. Project description		
6.	Name of the project	
7.	Number and capacities of the Reefer Vehicles/ Mobile pre-cooling vans	
C. Project Cost (indicating proposed cost, appraised cost separately)		
8.	Reefer Vehicles/ Mobile Pre-cooling Van (Capacity/Specification /Cost)	
9.	Pre-operative expenses	
10.	Working Capital	
	Total-	
D. Means of Finance (indicating proposed and appraised means of finance, separately)		
11.	Promoter's contribution	
12.	Term Loan	
13.	Assistance from other sources	
14.	Other	
	Total-	
E. Implementation Schedule		
12.	Anticipated date of purchase of reefer van/ reefer trucks.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Date:</p> <p>Place:</p> <p>Encl: List of documents attached.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Signature</p> <p>Name and Designation</p> <p>Seal of the organization</p> </div> </div>		

Application form

Annexure-D		
Application Form 1. For standardization promotion (TQM)/patent/design registration of processed food items 2. Market development & brand promotion. under U.P. Food Processing Industry Policy-2017 3. Assistance for preparation of bankable projects for FPI.		
S.No.	Particulars	Details
A. Promoters		
1	Name & address of the promoter including telephone, Mobile, e-mail etc.	
2.	Type of organisation like Govt. Institution /Organisation, Industry Association, University, NGO, Co-operative, Entrepreneur, Partnership Firm, Company, etc.	
3.	Background/credentials of applicant organization.	
4.	Financial Status (Enclose audited balance sheet for last 3 years)	
5.	Existing Industry if any	
B. Project description		
6.	Name of the project	
7.	Registered products details	
8.	Lay-out plan of unit	
9.	Details of Plant machinery installed for the above purpose	
10.	Details of plant machinery & technical civil work verified by chartered engineer/CA evaluation certificate	
11.	Details of institution for consultancy/registration/patent/preparation of bankable project. And concet of the institution	
12.	Details of export import licence for market development	
C. Project Cost		
13.	A. Consultancy fee B. Patent/design ragistration fee C. Fee charged by certifying body D. Fee charged by Accrediation body C. Fee charged by Institution for preparation of DPR	
14.	Plant machinery required for quality certificataion/upgradation	
15.	Technical civil work required for quality certificataion/upgradation	
16.	Other	
D. Means of Finance (indicating proposed and appraised means of finance, separately)		
17.	Promoter's contribution	
18.	Term Loan	
19.	Assistance from other sources	
20.	Other	
	Total-	

E. Implementation Schedule		
21.	Anticipated date of the work	
Date: Place: Encl: List of documents attached.		Signature Name and Designation Seal of the organization